

बैंकों की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर गैर निष्पादित संपत्तियों का प्रभाव

डॉ. आर.के. पाटिल *
श्रीमती तृप्ति शुक्ला (सराफ)**

परिचय

बैंकिंग क्षेत्र मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है जो सार्वजनिक तौर पर समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता पहुँचाने का कार्य करता है।

अधिकोषों को मुख्यतः देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बैंक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु मौलिक भूमिका के रूप में अग्रसर रहता है, परन्तु गैर निष्पादित संपत्तियों के स्तर एवं इनकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण बैंकों की परिचालन क्षमता एवं लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंकों को जहाँ देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है, वहाँ बैंकों में गैर निष्पादित संपत्तियों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि के कारण बैंकों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायताओं के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है, बढ़ते हुए गैर निष्पादित संपत्तियों की स्थिति का बैंकों पर मुख्यतः इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है :

- बैंकों द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर समझे जाने वाले व्यावसायियों एवं अन्य संस्थाओं के ऋण देने या आर्थिक सहायता देने की क्षमता घट जाती है।
- बैंकों के व्यवसाय में लाभ की मात्रा में कमी आ जाती है।
- बैंकों में होने वाले नकदी प्रवाहों में गिरावट आने लगती है।

गैर निष्पादित संपत्तियों का होना सामान्यतः बैंकों में वित्तीय प्रदूषण की तरह माना जाता है जिसके कारण लाभ एवं आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शोधार्थी द्वारा शोध-पत्र के माध्यम से यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि गैर निष्पादित संपत्तियों की शोध-अध्ययन की कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव हो सकता है और इसके परिणाम क्या होंगे? और साथ ही शोध साहित्य की समीक्षा करते हुए गैर निष्पादित संपत्तियों के कारणों का पता लगाते हुए उनमें सुधार कैसे लाया जाए। जिसके फलस्वरूप बैंकिंग स्थिति के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार किया जा सके।

बैंकिंग के अन्तर्गत बैंक एक मध्यस्थता की भूमिका के रूप में कार्य करता है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम बैंक द्वारा अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई धन राशि को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। इसके पश्चात इसी जमा राशि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को ऋण के रूप में या अग्रिम के रूप में उधार दिया जाता है।

जब बैंकों के ग्राहकों द्वारा बैंकों में धन राशि जमा की जाती है तो ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई राशि को उनकी मांग के समय भुगतान करना पड़ सकता है, इस दृष्टिकोण से जमा राशि बैंकों के लिए दायित्वों के रूप में माना जाता है।

* शोध निर्देशक एवं प्राध्यापक, हरदा डिग्री कॉलेज, हरदा, मध्यप्रदेश।
** शोधार्थी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

परन्तु जब बैंकों द्वारा इस जमा की गई राशि को अन्य किसी बाहरी व्यक्तियों या बैंकों के ग्राहकों एवं अन्य किसी व्यवसायिक संस्था को ऋण या अग्रिम के रूप में वितरित की जाती है तो बैंकों द्वारा भी यह राशि उनसे ब्याज के साथ—साथ वापस ली जाती है अतः इस दृष्टिकोण से यह बैंकों की संपत्तियों की तरह माना जाता है वर्तमान में बैंकिंग कारोबार में बैंकों को उधारकर्ता द्वारा ली गई मूलधन राशि के साथ—साथ उन पर ब्याज की राशियों का भुगतान न करने की जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, मुख्यतः ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, व्यवसायियों एवं किसानों को जो अग्रिम के रूप में या ऋण के रूप में राशि उधार दी गई उन्हें वापस लेने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

सामान्यतः बैंकिंग व्यवसाय में उधार राशि के भुगतान न होने को क्रेडिट साख जोखिम में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु जब कोई उधार कर्ता बैंकों से ली गई मूलधन एवं उस पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे गैर—निष्पादित संपत्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

गैर निष्पादित संपत्तियों की स्थिति होने के कारण

वर्तमान बैंकिंग व्यवसाय में गैर निष्पादित संपत्तियों की समस्याएँ बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं जिन्हें शोधार्थी द्वारा निम्न प्रकारों से अवगत कराया जा रहा है :

- उच्च या अधिक संभावित लाभों वाली सम्पत्तियों में विनियोग करना।
- लाभकारी वित्तीय निर्णयों को लेने में गलती करना।
- वित्तीय योजनाओं में धोखा—धड़ीयों का होना।
- एकत्रित धन को उचित समय एवं लाभदायक योजनाओं में निवेश न करना।
- बैंकिंग संस्था की आंतरिक व्यवस्था जैसे आंतरिक प्रबंध अनुचित प्रणाली का प्रयोग होना आदि।

गैर निष्पादित संपत्तियों की अवधारणा

बैंकिंग संस्था में संपत्तियों में मुख्यतः बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों एवं ऋणों की राशियों को सम्मिलित किया जाता है परन्तु निष्पादित एवं गैर निष्पादित संपत्तियों के आधार पर इनका वितरण शोधार्थी द्वारा साधारण एवं सरल तरीकों से निम्न प्रकार हो सकता है:


निष्पादित संपत्तियाँ

बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को अग्रिम या ऋण के रूप में जिन राशियों का वितरण किया गया है उन्हें बैंकों द्वारा समय—समय पर वसूल कर लिया जाता है या उधारकर्ता द्वारा बैंकों को अदा कर दिया जाता है इन्हें निष्पादित संपत्तियाँ मानी जाती हैं। ऐसे अग्रिमों या ऋणों के लिए बैंकों को जोखिम नहीं उठाना पड़ता है अर्थात् निष्पादित संपत्तियाँ बैंकों की आय को निरंतर बनाये रखने में सक्षम होती है।

गैर निष्पादित संपत्तियाँ

जिन अग्रिम एवं ऋणों की राशियों का भुगतान उधारकर्ता द्वारा बैंकों को निर्धारित अवधि के अंतर्गत नहीं चुकाया जाता है उन संपत्तियों को बैंक द्वारा गैर निष्पादित संपत्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।

बैंकिंग अर्थव्यवस्था में गैर निष्पादित संपत्तियों को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है



शोध का उद्देश्य

शोध पत्र के संबंध में अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा निम्न उद्देश्य की ओर ध्यान दिया गया है। जिसके फलस्वरूप गैर निष्पादित संपत्तियों का बैंकिंग अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी प्राप्त हो सके :

- सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों के उतार-चढ़ाव का अध्ययन करना।
- सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की आर्थिक स्थिति पर गैर निष्पादित संपत्तियों का प्रभाव।
- सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंकों में गैर निष्पादित संपत्तियों की वृद्धि के कारणों का पता लगाना।
- सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंकों में बढ़ती हुई गैर निष्पादित संपत्तियों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए योजनाएँ बनाना।

शोध कार्य का क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा शोध पत्र का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का चयन किया गया है, परन्तु साथ ही शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग अर्थव्यवस्था पर भी गैर निष्पादित संपत्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना पाया गया है।

अध्ययन अवधि

शोध के माध्यम से सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की गैर निष्पादित संपत्तियों का अध्ययन विगत 5 वित्तीय वर्षों 2012–13 से 2016–17 की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर किया गया है।

शोध प्रविधि

शोधार्थी द्वारा शोध पत्र लिखने के लिए विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय समंकों का विश्लेषण किया गया है।

आंकड़े एकत्रित करने के स्रोत

शोधार्थी द्वारा शोध पत्र तैयार करने के लिए आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों के साथ-साथ आवश्यक समाचार पत्रों की भी सहायता ली गई है।

सीमाएँ

शोधार्थी द्वारा शोध पत्र तैयार करने में द्वितीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में भ्रमित आंकड़ों को भी प्रयोग में लाया जाने वाला हो सकता है। सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की गैर निष्पादित संपत्तियों के प्रभाव का अन्य किसी दूसरे बैंकों की इसी शोध कार्य से आलोचनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

सकल गैर निष्पादित संपत्तियों के आधार पर आनुपातिक विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष मानते हुए :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सकल गैर वृद्धि निष्पादित संपत्तियाँ	वृद्धि या कमी	वृद्धि या कमी का प्रतिशत
1	2012–13	31294.36	—	—
2	2013–14	28947.96	(-) 2346.40	(-) 7.49
3	2014–15	39006.89	7712.53	24.64
4	2015–16	40226.25	8931.89	28.54
5	2016–17	47991.68	16697.32	53.35

सकल गैर निष्पादित संपत्तियों के आधार पर आनुपातिक विश्लेषात्मक अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 को आधार मानते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में बैंक को अन्य वित्तीय वर्षों की तुलना में आर्थिक स्थिति की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर निष्पादित संपत्तियों के आधार पर बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति में अधिकतम कमी का सामना करना पड़ा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बैंकिंग अर्थव्यवस्था पर गैर निष्पादित संपत्तियों के प्रभाव को देखते हुए शोधार्थी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है आर्थिक स्थिति पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आ सकती है।

गैर निष्पादित संपत्तियों की आनुपातिक स्थिति के आधार पर शोधार्थी द्वारा यह सुझाव दिया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक बैंकों को अग्रिम दी गई राशि के रूप में राशियों को एकत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए एवं गैर निष्पादित संपत्तियों पर बैंक को वित्तीय नियंत्रण करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012 से 2017 तक)।
- गैर निष्पादित संपत्तियाँ तनवी प्रकाशन—2002
- प्रबन्धकीय लेखाकानं कल्याणी प्रकाशन 1992 आर.के. शर्मा एवं शशि के. गुप्ता।
- रिसर्च मेथेडोलॉजी वीरेंद्र प्रकाश शर्मा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

